मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 6–9 / 2018 / अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक 05/9/18

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– **मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 में संशोधन बाबत् ।**

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 के नियम–6 में इन नियमों के परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित वस्तुएं मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित की गई हैं । मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु सामग्री आरक्षण की उपरोक्त व्यवस्था एतद् द्वारा समाप्त की जाती है ।

2. उपरोक्त संदर्भित परिशिष्ट ''अ'' में वर्णित वस्तुओं का क्रय क्रयकर्ताओं द्वारा नियम 9,10 एवं 11 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार सीधे किया जा सकेगा । इन नियमों के अंतर्गत GeM पोर्टल के माध्यम से भी क्रय किया जा सकेगा । इन वस्तुओं की दरें मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में उपलब्ध होने की दशा में क्रयकर्ता द्वारा निगम के माध्यम से भी सीधे क्रय किया जा सकेगा ।

3. उपरोक्त वस्तुओं अथवा अन्य अनारक्षित वस्तुओं का क्रय GeM पोर्टल से किए जाने की दशा में दरों की युक्तियुक्तता (Reasonability of Rate) क्रयकर्ता द्वारा प्रमाणित की जाएगी । GeM पोर्टल से क्रय की स्थिति में क्रय की जाने वाली सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य रूपये 05.00 लाख (रूपये पॉच लाख) से अधिक होने पर GeM पोर्टल पर निविदा द्वारा क्रय किया जा सकेगा। इस दशा में निविदा की प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) व निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) GeM के प्रचलित प्रावधान अनुसार स्वीकार की जाएंगी ।

मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 को अद्यतन कर अधिसूचित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है ।

यह व्यवस्था तत्काल प्रभावशील होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

5/9/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,

पृ.क. एफ 6– 9/2018/अ–ग्यारह भोपाल, दिनांक 5/09/18

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी, ग्वालियर ।
3. मान. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
4. सचिव, लोकसेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर
5. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. उप नियंत्रक, शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
9. प्रेस अधिकारी जनसम्पर्क एवं प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।

5.9.18

(ललित दाहिमा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग